गारमेंट एंड एलाइड वर्कर्स यूनियन (गाव्), गुडगाँव

28-04-2016

सेवा में,

श्रीमान यशेन्द्र सिंह जी,
एडिशनल लेबर कमिश्नर
गुडगाँव (एनसीआर)

विषय:गुडगाँव में न्यूनतम मजदूरी कानून के हो रहे नियमित उलंघन को रोकने हेतु ज्ञापन.

महोदय,

आज हम सभी गुडगाँव के श्रमिक संघ व मजदूर संगठन न्यूनतम मजदूरी कानून के हो रहे नियमित उलंघन को रोकने हेतु आपके समक्ष ज्ञापन सौपनेके लिए एकत्रित हुए है.ज्ञात हो की हरियाणा के श्रमिकों के आन्दोलन व अथक प्रयास के बाद हरियाणा सरकार ने नवम्बर 2015 में न्यूनतम मजदूरी को बढ़ाते हुए एक अधिसूचना जारी की है. यह अधिसूचना पिछले अधिसूचनाओं से अलग है क्यूंकि इसके अनुसार अब फैक्ट्री मालिक न्यूनतम मजदूरी को अलग अलग भत्तो में नहीं बांट सकते हैं । इस अधिसूचना के अनुसार श्रमिको के कुशलता व अनुभव के अनुसार पदोम्नती की समय सीमा भी घटा दी गयी है. गत 2012 से सरकार ने न्यूनतम मजदूरी के अधिसूची में घरेलु कामगारों को भी शामिल किया है।

गुडगाँव में फैक्ट्री मालिको ने अभी तक न्यूनतम मजदूरी को पूरी तरह से लागू नहीं किया है. विभिन्न फैक्ट्रीयों जैसे की **उद्योग विहार में रिचा एंड कंपनी, गौरव इंटरनेशनल, मैगसंस एक्सपोर्ट, एस.एस, इंटरप्राइजेज, मानेसर की सुपर फाइन कंपनी** तथा अन्य सैकड़ो कंपनियों में इस कानून का धड़ल्ले से उलंघन हो रहा है. इस कानून के प्रावधान के विपरीत मजदूरों को उनके कुशलता व अनुभव के अनुसार वेतन नहीं मिल रहा है. कम्पनियां लगातार इस कानून का उल्लंघन करते हुए वेतन की चोरी कर रही है. सरकारी महकमा भी हमारे काफी कोशिशों के बावजूद कंपनियों के इस गैर कानूनी कदम को रोकने में असफल रहा है. कम्पनियाँ नियमित

रूप से स्थायी कामो में ठेकेदारी प्रथा पर मजदूरों को बहाल कर रही है. इस प्रकार ठेकेदारी पर काम कर रहे मजदूरों के कानूनी सुरक्षा का हनन हो रहा है तथा कम्पनियाँ उनका लगातार शोषण कर रही है.

मजदूरों के मूल अधिकारों के हनन में कंपनियों की इस मनमानी और प्रशासन की उदासीनता के विरोध में हम सभी मजदूर संगठन व श्रमिक संघ ये मांग करते हैं कि:-

- **कंपनियों द्वारा न्यूनतम मजदूरी कानून के हो रहे नियमित उल्लंघन को तत्काल बंद किया जाए।**
- **श्रमिकों के कुशलता व अनुभव के अनुसार पदोन्नती की समय सीमा को लागू किया जाए।**
- **घरेलु कामगारों को न्यूनतम मजदूरी सुनिश्चित की जाए।**
- **ठेकेदारी पर काम कर रहे श्रमिकों को नियमित किया जाये।**

इस ज्ञापन के माध्यम से हम सरकार से यह अपील करते है की हमारी मांगो को तत्काल रूप से लागू किया जाये अन्यथा इन मांगो को लेकर हम अपना आन्दोलन और तीव्र करेंगे.

गारमेंट एंड एलाइड वर्कर्स यूनियन (गाव्), गुडगाँव

पता- प्लाट नंबर 1, राव मैचंद काम्प्लेक्स,

मिलिटरी स्टेशन के सामने, ज्वाला मिल,गुडगाँव, हरियाणा

फोन: 0124-4385478